जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर–342 003 फोन नं. 0291 2651337 (का) 2651389(नि) फैक्स नं० 2741870
जयपुर फोन नं. 0141 2740121 (का) 2651312 (नि) फैक्स न. 2740121

क्रमांकः– अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-कम्पनी सचिव/पत्रा० 191 /प्रे०सं० 1070 जोधपुर, दिनांक 18/1/2003

आदेश

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.06.2002 को सम्पन्न 22वीं बैठक में पारित किये गये संकल्प के अनुसरण में निगम के कार्यकलापों से सम्बन्धित सेवाओं और पदों पर नियुक्त निःशक्त व्यक्तियों की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम,2001

1– **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–**

(i) इन नियमों का नाम जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2001 हैं ।

(ii) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे ।

2– **परिभाषाएंः–** जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में :

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से वह अधिकारी अभिप्रेत है जो निगम द्वारा सुसंगत सेवा नियमों के अधीन इस रूप में नियुक्त किया गया हो,

(ख) "नेत्रहीनता" उस दृष्टि को निर्दिष्ट करती है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों से ग्रस्त है, अर्थात :–

(i) दृष्टि का पूर्णतः अभाव, या

(ii) दृष्टि क्षमा समुचित लेंसों से बेहतर आंख से 6/60 या 20/200 (स्मेलन) से अनधिक या

(iii) 20 डिग्री या इससे खराब कोण के सम्मुख सीमित दृष्टि क्षेत्र ।

(ग) "मस्तिष्क सम्बन्धी फालिज (लकवा)" (सेरेब्रल पालसी) से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क अधिक्षेप या प्रसवपूर्व पेरिनाटल या शैशव काल में के विकास के दौरान हुई क्षतियों के परिणाम स्वरूप असामान्य मोटर कन्ट्रोल पॉस्चर द्वारा बाधित आग्रतिशील (अविकसित) स्थितियों का समूह अभिप्रेत हैं,

(घ) "निःशक्तता" से

(i) अन्धता या निम्न (कम) दृष्टि

(ii) श्रवण शक्ति की क्षीणता और

(iii) गति विषयक निःशक्तता या मस्तिष्क सम्बन्धी फालिज (लकवा) (सेरेब्रल पालसी) अभिप्रेत हैं

Scanned by CamScanner

(ड) "निगम" से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अभिप्रेत हैं,

(च) "श्रवण शक्ति की क्षीणता" से संवाद सम्बन्धी संचरण की आवृत्तियों में अच्छे कान से 60 डेसीबेल या उससे अधिक की हानि अभिप्रेत हैं,

(छ) "गतिविषयक निःशक्तता" से अंगों के संचलन को पर्याप्त निर्बन्धित करने वाली अस्थियों, जोड़ों या मांसपेशियों की निःशक्तता का या मस्तिष्क सम्बन्धी फालिज (सेरेब्रल पालसी) का कोई भी रूप अभिप्रेत हैं,

(ज), "चिकित्सा प्राधिकरण" से राज्य सरकार द्वारा गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड अभिप्रेत हैं जिनमें से कम से कम एक ऐसा विशेषज्ञ होगा जो अंधता, निम्न (कम) दृष्टि, श्रवण शक्ति की क्षीणता, गतिविषयक निःशक्तता, या यथास्थिति, मस्तिष्क सम्बन्धी फालिज (सेरिब्रल पालसी) को आंकने हेतु विशिष्ट क्षेत्र में सह आचार्य या कनिष्ठ विशेषज्ञ की रेंक के नीचे का न हो,

(झ) "निःशक्त व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी निःशक्तता से कम से कम चालीस प्रतिशत तक ग्रस्त हो,

(ण) "निम्न (कम) दृष्टि वाला व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिसकी दृष्टि क्षमता में उपचार या मानक विवर्तित (रिफेक्टिव) सुधार के पश्चात् भी ह्रास हो लेकिन जो योजना या किसी कार्य के निष्पादन हेतु समुचित सहायता युक्ति के साथ चश्में का प्रयोग करता हैं या सम्भाव्यतः प्रयोग करने के लिए समर्थ हैं,

(ट) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत हैं,

(ठ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत हैं, और

(ड) "वर्ष" से प्रथम अप्रेल से प्रारम्भ होने वाला और 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत हैं ।

3— <u>पात्रताः</u>— निगम के कार्यकलापों से सम्बन्धित विभिन्न सेवाओं या पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त किन्ही सेवा नियमों या आदेशों में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुये भी, निःशक्त व्यक्ति इन नियमों के नियम 4 के अधीन अधिकारी, लिपिक वर्गीय, चतुर्थ श्रेणी तथा अधीनस्थ तकनीकी सेवाओं में उनके लिये परिलक्षित पदों पर नियुक्ति के लिये पात्र होंगे बशर्ते वे सुसंगत सेवा नियमों मे अधिकथित अर्हताएं पूरी करते हों तथा उक्त सेवाओं के पदों के कर्तव्यों का पालन करने के लिये क्रियात्मक रूप से योग्य हों ।

4— <u>निःशक्त व्यक्तियों के लिये आरक्षणः</u>— (I) अनुसूची 1 में प्रत्येक निःशक्तता के लिये परिलक्षित पदों पर या निगम के आदेश द्वारा किन्ही भी निःशक्तताओं के लिये परिलक्षित किसी अन्य पद पर रिक्तियों का तीन प्रतिशत निःशक्त व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों के वर्ग के लिये आरक्षित होगा जिसका एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये आरक्षित होगा :—

(I) अंधता या निम्न (कम) दृष्टि,
(II) श्रवण शक्ति की क्षीणता,
(III) गति विषयक निःशक्तता या मस्तिष्क सम्बन्धी फाजिल (सेरिब्रल पालसी) ।

और ऐसा आरक्षण क्षेतिज आरक्षण माना जायेगा ।

Scanned by CamScanner

5– जहां किसी भर्ती वर्ष में नियम 4 के अधीन आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति के उपलब्ध न होने के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकती हो वहां ऐसी रिक्ति अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी और यदि अगले भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता हैं तो पहले इसे तीन प्रवर्गो में परस्पर परिवर्तन द्वारा भरा जा सकेगा और केवल तब ही जब उस वर्ष में पद के लिये निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो नियुक्ति प्राधिकारी, निःशक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति की नियुक्ति करके रिक्ति को भरेगा ।

परन्तु यह कि किसी विभाग में रिक्तियों की प्रकृति यदि ऐसी हैं कि दिये गये प्रवर्ग का व्यक्ति नियोजित नहीं किया जा सकता हो तो रिक्तियां निगम के पूर्व अनुमोदन से तीन प्रवर्गो में परस्पर परिवर्तित की जा सकेगी ।

6– निःशक्त व्यक्तियों के किसी प्रवर्ग के लिये उपयुक्त पाये गये किसी पद पर नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति का चयन करते समय यदि ऐसी निःशक्तता वाले व्यक्ति तथा निःशक्तता रहित व्यक्ति के बीच अन्य बातें समान हों तो ऐसे निःशक्त व्यक्ति को उनके लिये निहित आरक्षण से भी अधिक अधिमान दिया जायेगा ।

7– <u>निःशक्तता प्रमाण पत्रः</u>–

(I) निःशक्तता प्रमाण पत्र चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में दिये गये प्रारूप में जारी किया जायेगा ।

(II) किन्ही सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, ऐसे निःशक्त व्यक्ति, जो अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट किन्ही आरक्षित या परिनलक्षित पदों पर नियुक्त होते हैं, निगम सेवा में प्रथम प्रवेश पर सम्बन्धित सेवा नियमों में यथा उपबंधित सामान्य चिकित्सा परीक्षा के अध्यधीन नहीं होगें ।

8– <u>आयु में शिथिलीकरणः</u>– अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर या निगम के आदेश द्वारा किन्हीं निःशक्तताओं के लिये परिलक्षित तथा नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन आरक्षित किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को, सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से ही विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुये निम्नलिखित रूप में शिथिलीकृत किया जा सकेंगाः–

(I) सामान्य प्रवर्ग के अभ्यार्थियों के लिये 10 वर्ष,

(II) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों के लिये 13 वर्ष, और

(III) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों के लिये 15 वर्ष ।

परन्तु असाधारण कष्ट के मामलों में निगम आयु सीमा को आगे और शिथिल कर सकेगा ।

9– <u>यात्रा व्ययः</u>– निःशक्त व्यक्ति नियोजन हेतु साक्षात्कार, परीक्षण या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आने और जाने की यात्रा हेतु द्वितीय श्रेणी के रेल भाड़े या यथास्थिति, वास्तविक साधारण बस भाड़े की सुविधा का उपभोग कर सकेंगे ।

10– <u>नियोजित व्यक्ति यदि बाद में निःशक्त हो जायें</u>:– निगम की सेवा में पहले से ही नियोजित ऐसे व्यक्ति जो निःशक्त हो जाये वे भी नियम 4 के अधीन आरक्षण हेतु इन नियमों के नियम 7 में उपबंधित शारीरिक तथा चिकित्सीय परीक्षा से छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे और निगम के अनुमोदन से किसी अन्य वैकल्पिक पद पर, जिसके लिये इन नियमों के अधीन वे पात्र हो, आमेलित या समायोजित किये जाने के भी हकदार होंगे ।

Scanned by CamScanner

11– **चिकित्सीय परीक्षा हेतु फीसः**– इन नियमों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों द्वारा किसी भी चिकित्सीय परीक्षा या उन्हें प्रमाण पत्र के दिये जाने के लिये किसी चिकित्सा प्राधिकारी की कोई फीस होगी तो उसका पुर्नभरण निगम द्वारा किया जायेगा ।

12– **शंकाओं का निराकरणः**– यदि इन नियमों के लागू होने, निर्वचन और इनकी व्याप्ति के सम्बन्ध में कोई शंका उत्पन्न हो जाये तो मामला निगम के कार्मिक विभाग को निर्देशित किया जायेगा, जिस पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

13– **निरसन और व्यावृत्तिः**– राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो का नियोजन नियम, 1980 और इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों से सम्बन्धित आदेश, इसके द्वारा निरसिंत किये जाते हैं । परन्तु इस प्रकार निरंसित किये गये नियमों और आदेशों के अधीन किये गये कोई आदेश या की गयी कोई कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों के अधीन किये गये या की गयी समझी जावेगी ।

(आर०के०सिंह)
कम्पनी सचिव
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1– वित्तीय सलाहकार, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
2– सम्भागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
3– उप मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
4– मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
5– अधीक्षण अभियन्ता(   ), जोधपुर डिस्कॉम,
6– प्रावे.सहा.अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
7– उपनिदेशक(कार्मिक एवं प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर । जोधपुर जोन जोधपुर
8– कार्मिक अधिकारी(jodhpur), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

कम्पनी सचिव
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

P.R.Choudhary/***

Scanned by CamScanner

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

अनुसूची – 1

क्र. सं.	पद का नाम	नि:शक्तता की प्रकृति जिसके लिये पद परिलक्षित हैं
1	जनसम्पर्क अधिकारी	ओ.एल., ओ.ए., आई.सी
2	कार्मिक अधिकारी	ओ.एल., ओ.ए., आई.सी., पी.डी.
3	विधि अधिकारी	ओ.एल., ओ.ए., आई.सी., पी.डी.
4	लेखाधिकारी	ओ.एल., आई.सी., एम.डब्ल्यू., एफ.टी., पी.डी.
5	सहायक विधि अधिकारी	ओ.एल., ओ.ए., आई.सी., पी.डी.
6	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	ओ.एल., ओ.ए., आई.सी.
7	सहायक कार्मिक अधिकारी	ओ.एल., ओ.ए., आई.सी., पी.डी.
8	विधि सहायक	ओ.एल., ओ.ए., आई.सी., पी.डी.
9	कनिष्ठ लिपिक	बी.एल.,ओ.ए.,एफ.टी., एम.डब्ल्यू., आई.सी., पी.डी., डी.
10	कनिष्ठ लेखाकार	बी.एल.,ओ.ए.,एफ.टी., एम.डब्ल्यू., आई.सी., पी.डी.
11	लेखाकार	बी.एल.,ओ.ए.,एफ.टी., एम.डब्ल्यू., आई.सी., पी.डी.
12	साख्यिकी	ओ.एल.,ओ.ए.,एफ.टी., एम.डब्ल्यू., आई.सी., पी.डी.
13	संगणक	बी.एल.,ओ.ए.,एफ.टी., एम.डब्ल्यू., आई.सी., पी.डी.
14	ड्राफ्टसमैन	बी.एल., एफ.टी., एम.डब्ल्यू., आई.सी., डी.
15	ट्रेसर	बी.एल., एफ.टी., एम.डब्ल्यू., आई.सी., डी.
16	फैरोमैन	बी.एल., एफ.टी., एम.डब्ल्यू., आई.सी., डी.
17	चपरासी	ओ.एल.,ओ.ए.,एफ.टी., एम.डब्ल्यू., आई.सी.,पी.बी.,पी.डी.
18	स्वीपर	ओ.एल., आई.सी., पी.बी., पी.डी.
19	गार्डनर	ओ.एल., आई.सी., पी.बी., डी.
20	मीटर टेस्टर रिपेयर (केवल मीटर लेब के लिये)	बी.एल., आई.सी., डी., पी.डी.
21	सहायक द्वितीय (केवल मीटर लेब के लिये)	बी.एल., आई.सी., डी., पी.डी.
22	बिल वितरक	ओ.ए., पी.बी., पी.डी.

P.R.C./***

Scanned by CamScanner

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

टिप्पणी:— अनुसूची के स्तम्भ–3 में दर्शायी गई 'अक्षमता की प्रकृति' से निम्नलिखित अभिव्यक्त हैं:—

1	बी. एल.	दोनों टांगे प्रभावित लेकिन बांहे नहीं
2	बी. ए.	दोनों बांहे प्रभावित / असमानता (क) पूर्णतः असमर्थ (ख) पकड़ने में कमजोरी
3	बी. एल. ए.	दोनों टांगे और दोनों बांहे प्रभावित
4	ओ. एल.	एक टांग प्रभावित (दांयी या बांयी)
5	ओ. ए.	एक बांह प्रभावित (दांयी या बांयी)
6	बी. एच.	पीठ और नितंब में अकड़न (बैठ या झुक नहीं सकता)
7	एफ. टी.	सहन करने का सीमित अभ्यास – जल्दी थकान
8	एम. डब्ल्यू	मांसपेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक क्षमता
9	आई. सी.	चलने–फिरने में सामान्य असमानता
10	बी.	नेत्रहीन
11	बी. एल.	अंशतः नेत्रहीन
12	डी.	बधिर
13	पी. डी.	अंशतः बधिर साथ में श्रवण यंत्र का उपयोग

P.R.C./***

Scanned by CamScanner

ADMN.No. 204

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कॉरपोरेट आइडेन्टीफिकेशन नम्बर (सीन)-यू40109आरजे2000एसजीसी016483
पंजीकृत कार्यालय:-न्यू पावर हाउस, जोधपुर-342003
फोन.:- 0291-2748970 फैक्स न.:- 0291-5106121
ईमेल:-secyadmn@gmail.com वेबसाईट:- www.jdvvnl.com

क्रमांक:- जो.वि.वि.नि./प्र.नि./सचिव (प्रशासन)/जोध../फा. /प्रे.सं. 749 /दिनांक 1/9/16

आदेश 404

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने दिनांक 30.08.16 को आयोजित निदेशक मंडल की छठी बैठक में, राज्य के पांचों विद्युत निगमों में सहायक अभियंता के पद पर सीधी भर्ती में निःशक्त व्यक्तियों को नियोजन में तीन (3) प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है।

तद्नुसार, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.06.2002 को सम्पन्न 22वीं बैठक में "निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन, नियम 2001" के साथ संलग्न "अनुसूची-1" की प्रथम तालिका में क्रम संख्या - 23 पर निम्न प्रविष्टि को जोड़ने का निर्णय लिया है:-

क्र.सं.	पद का नाम	निःशक्ता की प्रकृति जिसके लिए पद परिलक्षित है
23	सहायक अभियंता	बी.एल., ओ.एल., ओ.ए.

आज्ञा से

(भागीरथ बिश्नोई)आर.ए.एस.
सचिव (प्रशासन)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य/अति. मुख्य अभियंता ( ), जोधपुर डिस्कॉम,
2. प्रावैधिक सहायक प्रबंध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
3. कंपनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी ( ), जोधपुर डिस्कॉम,
5. अधीक्षण अभियंता ( ), जोधपुर डिस्कॉम,
6. तकनीकी सहायक/निजी सहायक(वित्त/तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम,
8. उप निदेशक कार्मिक ( ), जोधपुर डिस्कॉम,
9. कार्मिक अधिकारी ( ), जोधपुर डिस्कॉम,
10. अधिशाषी अभियंता ( ), जोधपुर डिस्कॉम,
11. सहायक अभियंता ( ), जोधपुर डिस्कॉम,
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी ( ), जोधपुर डिस्कॉम,

सचिव (प्रशासन)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर